कार्यालय वन वृत्त खण्डवा (क्षेत्रीय) मध्यप्रदेश

क्रमांक/मा.चि./2017/ 6844 खण्डवा, दिनांक 30/8/2017

प्रति,

वनमण्डलाधिकारी

सामान्य वनमण्डल, बुरहानपुर

विषय – जिला बुरहानपुर वनमण्डल बुरहानपुर में भावसा मध्यम सिंचाई जलाशय परियोजना के वन प्रस्ताव के संबंध में।

संदर्भ – आपका पत्र क्रमांक/मा.चि./2017/2105 दि. 28.08.2017

--00--

विषयांकित प्रकरण के प्रस्ताव, जो कि ऑन लाईन दिनांक 28.08.2017 को इस कार्यालय में दर्शित हुये है। जिनका अवलोकन करने पर पार्ट II मे निम्नानुसार कमियाँ/त्रुटियाँ पाई गई है :–

1. पार्ट II के बिन्दु क्रमांक 13 (I) में पेज वाईज डिटेल्स के क्रमांक 2 की इच्छापुर की गैरवनभूमि 68.04 हे. की KML की फाईल ओपन नहीं हो रही है। सुधार किया जावे।

2. बिन्दु क्रमांक 13 "Details of compensatory afforestation scheme" के अन्तर्गत बिन्दु क्रमांक (iv) में फाइनेंसियल आउट–ले रूपये 836 लाख दर्शाये गये है जबकि प्रकरण में आपके द्वारा वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित योजनाओं की कुल राशि 226198906 रूपये की अनुमोदित की गई है। तदानुसार सही–सही क्षेत्रफल की प्रविष्टि की जावे।

3. बिन्दु क्रमांक 13 "Details of compensatory afforestation scheme" के अन्तर्गत बिन्दु क्रमांक (vi) में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्राप्त राजस्व भूमि 208.77 हेक्टर का स्थल उपर्युक्त प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है जबकि प्रकरण में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु कुल 243.75 हे. राजस्व भूमि प्रस्तावित की गई है। स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र परिक्षेत्र अधिकारी स्तर का संलग्न है जबकि पूर्ण भूमि का स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र वनमण्डलाधिकारी द्वारा दिया जाना है।

4. बिन्दु क्रमांक 13 "Details of compensatory afforestation scheme" के अन्तर्गत बिन्दु क्रमांक (vii) में वैकल्पिक वृक्षारोपण योजनाएँ मय तकनीकि स्वीकृति के संलग्न किया जाना है, आपके द्वारा मात्र परिक्षेत्र अधिकारी स्तर से प्राप्त एक पत्र संलग्न किया गया है।

5. बिन्दु 15 में स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन 26.08.2017 की स्थिति में लगाया गया है, जबकि बिन्दु क्रमांक 16 Recommendation में श्री डी.एस. कनेश व.म.अ. के हस्ताक्षर युक्त पुराना स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन एवं कलेक्टर का प्रमाण पत्र एवं अन्य अभिलेख संलग्न किये गये है। अतः बिन्दु क्रमांक 16 में अद्यतन स्थिति में अनुशंसा की जाना है।

6. प्रकरण की हार्ड कॉपी आपके द्वारा आज पर्यन्त इस कार्यालय को प्रस्तुत नहीं की गई है।

अतः ऑन लाईन किये गये प्रस्तावों के भाग । एवं ।। के प्रत्येक बिन्दु का परीक्षण कर सही–सही जानकारी की प्रविष्टि की जावे तथा ऑन लाईन किये गये फार्म 'ए' के पार्ट–1 एवं 2 एवं उनके संलग्न अभिलेखों सहित हस्ताक्षर उपरांत 4 प्रतियों में इस कार्यालय को प्रेषित की जावे।

उपर्युक्तानुसार बिन्दुओं की पूर्ति ऑन लाईन की जाना तत्काल सुनिश्चित करें तथा फार्म 'ए' के पार्ट 1 एवं 2 के सहित 4 प्रतियों में हस्ताक्षर सहित हार्ड कॉपी भेजना सुनिश्चित करें ताकि प्रकरण में आगामी कार्यवाही की जा सके।

मुख्य वन संरक्षक

खण्डवा वृत्त खण्डवा

30/8/17

\\Uikey\d\G Computer\dict\Daily_Work\Email\Dm\2017\letter 08-02-2017.doc